दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम ज़मानत

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

मार्च 2024 में दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को **अंतरिम ज़मानत** प्रदान की है।

- न्यायालय ने कहा कि **अस्थायी रिहाई**, जिसे **"अंतरिम ज़मानत"** के रूप में जाना जाता है, कुछ मामलों में दी जा सकती है जहाँ बाध्यकारी कारण और आधार हों, तथापि नियमित ज़मानत को उचित नहीं माना जाता है।
  - ज़मानत **मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे अभियुक्त व्यक्ति की अस्थायी रिहाई** होती है, जो आमतौर पर न्यायालय को एक निर्धारित राशि का भुगतान करने पर दी जाती है।
  - ज़मानत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि **अभियुक्त न्यायालय में अपनी पेशी के लिये वापस आएंगे।**
  - कथित अपराध की गंभीरता, प्रतिवादी के आपराधिक इतिहास और भागने की संभावना जैसे कारकों के आधार पर ज़मानत आमतौर पर **न्यायालय द्वारा उसके विवेकाधिकार** से दी जाती है।
  - **अंतरिम ज़मानत** किसी मामले के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से दी जाती है जब नियमित ज़मानत तुरंत प्राप्त नहीं की जा सकती।
  - **"अंतरिम ज़मानत"** शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में स्पष्ट रूप से परिभाषित **नहीं** किया गया है।

भारत में जमानत और संबंधित प्रावधान

"जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने पर बोझ से संबंधित है, सभी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।"

-न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर

गिरफ्तारी के लिये संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 22: यह अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, हिरासत को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- **दंडात्मक हिरासत:** न्यायालय में मुकदमे और दोषसिद्धि के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध हेतु दंडित करना।
- **निवारक निरोध:** न्यायालय द्वारा परीक्षण और दोषसिद्धि के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: जमानत को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन जमानती और गैर-जमानती अपराधों को परिभाषित करता है:

अपराध का प्रकार	जमानती	गैर-जमानती
CrPC के तहत परिभाषित	अनुसूची 1 में उल्लिखित अपराध, या किसी अन्य कानून द्वारा जमानतीय अपराध	जमानती के अतिरिक्त कोई भी अपराध
जमानत देने की शक्ति	अधिकार के रूप में जमानत	न्यायालय/पुलिस का विवेक तथ्यों पर आधारित हो

जमानत बनाम पैरोल बनाम परिवीक्षा

जमानत	पैरोल	परिवीक्षा
मुकदमे या अपील की प्रतीक्षा कर रहे प्रतिवादी की अस्थायी रिहाई, न्यायालय में उनकी उपस्थिति की सुनिश्चितता हेतु जमा राशि द्वारा सुरक्षा	जब व्यक्ति को कारावास की सज़ा से कुछ समय की छूट प्रदान की जाती है, उदाहरण के लिये, कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु	किसी अपराधी की सज़ा का निलंबन, किसी अधिकारी की निगरानी में समुदाय में रहने की अनुमति प्रदान करना
न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त	पैरोल बोर्ड द्वारा प्रदत्त	न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त

भारत में जमानत के प्रकार

- **नियमित जमानत:** पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का न्यायालय का आदेश
- **अंतरिम जमानत:** अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिये आवेदन पर फैसला होने तक न्यायालय अस्थायी अनुतोष प्रदान करती है
- **अग्रिम जमानत:** गिरफ्तारी को रोकने के लिये अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है
- **डिफॉल्ट जमानत:** जब पुलिस निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है
- **चिकित्सकीय जमानत:** केवल चिकित्सा के आधार पर

जमानत रद्द करना - कुछ आधार पर

- यदि कोई व्यक्ति, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है
- जाँच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है
- साक्ष्यों से छेड़छाड़
- गवाहों को धमकाना, आदि

दृष्टि The Vision | Drishti IAS

//

और पढ़ें: [पैरोल और फरलो के लिये संशोधित दिशानिर्देश: गृह मंत्रालय]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/interim-bail-to-delhi-chief-minister